# न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

## पी0ए0 केश नं0– 36/21–22

## चन्दु मुर्मू बनाम् रैयान मौजा–मानिकपुर

### –: आदेश :–

| | |
|---|---|
| 03.01.2023 | वर्तमान वाद आवेदक चन्दु मुर्मू, पे0–स्व0 बड़का मुर्मू, सा0–मानिकपुर, थाना व अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा– मानिकपुर नं0–52 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।<br><br>आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।<br><br>अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–587/रा0, दिनांक–04.08.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व प्रधान संझली किस्कु, पति–स्व0 बेचु मुर्मू की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उक्त प्रधानी पद रिक्त है। पूर्व प्रधान संझली किस्कू निःसंतान थी एवं आवेदक चन्दु मुर्मू, पे0–स्व0 बड़का मुर्मू, सा0–मानिकपुर पूर्व प्रधान के देवर का एकलौता पुत्र है। उक्त के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–06 के तहत् आवेदक चन्दु मुर्मू को मौजा–मानिकपुर के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है।<br><br>अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–मानिकपुर नं0–52 का प्रधान आवेदक चन्दु मुर्मू, पे0–स्व0 बड़का मुर्मू, सा0– मानिकपुर को नियुक्त किया जाता है।<br><br>नवनियुक्त प्रधान चन्दु मुर्मू को आदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।<br><br>लेखापित एवं संशोधित।<br>03.01.23<br>अनुमंडल पदाधिकारी,<br>महागामा।<br><br>03.01.23<br>अनुमंडल पदाधिकारी,<br>महागामा।<br><br>Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania<br>Date: 2023.04.17 15:05:15 +05:30<br>Location: 192.168.8.116 |

06/01/23

Scanned with OKEN Scanner